रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-08112025-267487 CG-DL-E-08112025-267487

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 735]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 6, 2025/ कार्तिक 15, 1947 NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 6, 2025/ KARTIKA 15, 1947

No. 735] NEV

# स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2025

सा.का.नि. 821(अ).—केंद्रीय सरकार, मानव अंग और ऊतक प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 (1994 का 42) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मानव अंग और ऊतक प्रतिरोपण नियम, 2014 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मानव अंग और ऊतक प्रतिरोपण (संशोधन) नियम, 2025 है।
  - (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
- 2. मानव अंग और ऊतक प्रतिरोपण नियम, 2014 के प्ररूप 15 में, उपशीर्षक "3. कॉर्नियल प्रत्यारोपण केन्द्र" के अधीन सी के सामने, दूसरे स्तंभ की प्रविष्टियों में, "स्पेकुलर" शब्द के स्थान पर, "स्पेकुलर (वैकल्पिक)" शब्द और कोष्ठक रखें जाएंगे।

[फा.सं. टी-32/842/आर एंड डी/नोटो/25-एमएस]

विजय नेहरा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.िन. 218, तारीख 27 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

7399 GI/2025 (1)

#### MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

#### (Department of Health and Family Welfare)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th November, 2025

- G.S.R. 821(E).—In exercise of the powers conferred by section 24 of the Transplantation of Human Organs and Tissues Act, 1994 (42 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Transplantation of Human Organs and Tissues Rules, 2014, namely:—
  - 1. (1) These rules may be called the Transplantation of Human Organs and Tissues (Amendment) Rules, 2025.
    - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Transplantation of Human Organs and Tissues Rules, 2014, in Form 15, under the sub-heading "III. CORNEAL TRANSPLANTATION CENTRE", in the entries in the second column against C, for the word "Specular", the words and brackets "Specular (optional)" shall be substituted.

[F. No. T-32/842/R&D/NOTTO/25-MS]

VIJAY NEHRA, Jt. Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 218, dated the 27th March, 2014.